तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / टीए / 11041 / 2001 / अलवर लादूराम वगैरा बनाम उगन्ती व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य

उपस्थित–
श्री दीनदयाल पारीक, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
विपक्षीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित, अतः उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

निर्णय

दिनांकः– 30–07–2019

यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (तत्पश्चात अधिनियम) के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी राजगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–07–2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई।

आलोच्य आदेशानुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी को खारिज किया गया है।

हमने निगरानी के संबंध में प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी।

प्रार्थी/प्रतिवादी के अधिवक्ता ने निगरानी मीमो में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए आक्षेपित आदेश को त्रुटिपूर्ण बताया है। उनका कहना है कि आक्षेपित निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय ने समुचित एवं पर्याप्त कारणों को अंकित नहीं किया है, इसलिए निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है। उनका तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र को खारिज करने में भूल की है, क्योंकि इस संशोधन करने पर कोई वाद की नेचर में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने ढंग से आक्षेपित निर्णय पारित कर विधिक प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया है। उनका तर्क है कि वाद

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / टीए / 11041 / 2001 / अलवर लादूराम वगैरा बनाम उगन्ती व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	के पैरा संख्या 2 में वादी ने स्पष्ट अंकिन किया कि लादू व प्रतिवादी कल्याण ने दिनांक 03-11-1989 को तहरीर व तकमील किया और उक्त इकरारनामे पर कलयाणसहाय व लादू ने अपने हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी की है और इस इकरारनामे के आधार पर वादी रामधन दावे में निस्फ हिस्से का मालिक व खातेदार है। इससे स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत विचाराधीन वाद एक अपंजीकृत इकरारनामे के आधार प्रस्तुत किया गया और उसके आधार पर खातेदारी हकूक चाहता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिवादी के आलोच्य प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर वाद में आगामी विचारण प्रारम्भ करना चाहिए था। अतः ऐसा नहीं करने में अधीनस्थ न्यायालय ने तात्विक अनियमितता की है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी राजगढ द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 24-07-2001 को निरस्त कर प्रतिवादी द्वारा दिनांक 17-07-2001 को पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी को स्वीकार कर वादोत्तर के अन्तर्गत प्रतिवादी द्वारा चाही गई तरमीम (संशोधित) करने के आदेश प्रदान करें, जिससे न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद का निस्तारण न्याय व विधिनुसार हो सके। उन्होंने अपने तर्को के समर्थन में 2002 (2) आरएलडब्ल्यू एससी 279, 2006 (2) आरआरटी 1093, 2007 एआईआर एससी 2511, 2008 एआईआर 2003, 1996 (2), 2006 (2) आरआरटी एचसी 1433, 1998 (2) आरएलडब्ल्यू एसी 202 तथा 2002 आरबीजे 617 के न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किए। हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली व आक्षेपित आदेश का अवलोकन किया।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / टीए / 11041 / 2001 / अलवर लादूराम वगैरा बनाम उगन्ती व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ ने आक्षेपित आदेश दिनांक 24–07–2001 में क्रियात्मक भाग निम्नानुसार पारित किया हैः– **''चूँकि प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी प्रतिवादी द्वारा अपने जवाबदावे के प्रस्तुत करने के बाद लम्बी अवधि के बाद प्रस्तुत किया गया है जबकि वाद वर्तमान में अन्तिम बहस की स्थिति में चल रहा है और अब संशोधन किया जाने से दावे की प्रकृति पर प्रभाव पडता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी को काबिल स्वीकार योग्य नहीं है, तदनुसार प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।''** विभिन्न उच्चतर न्यायालयों ने अपने महत्वपूर्ण निर्णयों में यह व्याख्या की है कि किसी मामले में प्रतिवादी द्वारा एक बार वादोत्तर पेश होने के बाद एक लम्बी अवधि व्यतीत होने के उपरान्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी बाबत वादोत्तर में संशोधन की स्वीकृति से वाद की प्रकृति पर प्रभाव पडना सम्भावित है तथा साथ ही ऐसे प्रार्थना पत्र को ग्राहय करने से पक्षकार में भविष्य में और अधिक वाद बाहुल्यता को भी बढावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त अनर्गल प्रार्थना पत्र को ग्राह्य करने से पक्षकारान को मिलने वाले न्याय में देरी होना भी प्रकट होता है। अतः प्रश्नगत मामले में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय में दिया गया अभिमत विधि सम्मत है। प्रार्थीगण द्वारा अपने तर्को के समर्थन जो न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किए है, उनकी पृष्ठभूमि हस्तगत मामले से भिन्न होने के कारण उनसे उनको कोई सहायता प्राप्त नहीं हो सकती है। निगरानी का क्षेत्र सीमित है। निगरानी में यह देखना है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर तो आदेश पारित नहीं किया है या	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / टीए / 11041 / 2001 / अलवर लादूराम वगैरा बनाम उगन्ती व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपने क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध आदेश पारित किया गया हो तो निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में हमारी सुविचारित राय में अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार में रहकर ही विधि सम्मत निर्णय पारित किया है, इसलिए उसमें हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जाना समीचीन है। परिणामतः प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने के कारण निरस्त की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी राजगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24-07-2001 को यथावत रखा जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(प्रवीण गुप्ता)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / टीए / 11041 / 2001 / अलवऱ लादूराम वगैरा बनाम उगन्ती व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए